>

Title: Voting right to primary school teachers to elect members of Legislative Council.

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):** विधान परिषद् वाले राज्यों में विधान परिषद् के चुनाव में शिक्षकीय क्षेत्र् में कॉलेज और हाई स्कूलों के शिक्षकों को मतदान करने का अधिकार है लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार नही है , जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए विधि विभाग ने संविधान संशोधन पर विचार किया है। इस हेतु देश के राजनीतिक दलों से परामर्श करने का प्रस्ताव था।

आग्रह है कि कृपा कर राजनीतिक दलों से इस संबंध में परामर्श कर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाए जिससे कि विधान परिषद् के चुनावों में प्राथमिक शिक्षकों का मतदान करने का अधिकार मिल सके।